कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी) डूंगरपुर

क्रमांकः–जिपडूं/महानरेगा/09–10/ दिनांकः– 6-5-2010

:: विज्ञप्ति ::

महानरेगा योजनान्तर्गत गैर सरकारी/स्वयंसेवी संगठनों को क्रियान्वयन एजेन्सी बनाये जाने हेतु सार्वजनिक निविदा सूचना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 2 (6), 18 एवं 32 के क्रम में गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के साथ जल संरक्षण, जल संचय, वन, वृक्षारोपण, बागवानी, भूमि सूधार, सिंचाई नहरों का विकास, सुक्ष्म व लघु सिंचाई कार्य, बाढ नियत्रंण संरक्षण जैसे कार्यो मे जन भागीदार बनाये जाने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित, स्थापित साख एवं कार्य प्रदर्शन करने वाले अशासकीय संगठनों (Reputed NGO of proven track record and performance) के चयन हेतु इच्छुक संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते है। गैर सरकारी संगठन/स्वंयसेवी संस्था सोसायटी पंजीयन अधिनियम/सहकारिता अधिनियम/धर्मार्थ तथा धार्मिक न्यास अधिनियम 1920/भारतीय कम्पनी अधिनियम 1950 (भाग–25) के अन्तर्गत कम से कम पांच वर्ष पूर्व का पंजीयन होना आवश्यक है। अन्य संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज आदि की सूची लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय प्रातः 9.30 से सांय 6.00 तक प्राप्त की जा सकती है। पूर्ण दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक **18.05.2010** तक प्राप्त किये जावेंगे। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

जिला कार्यक्रम समन्वयक (महानरेगा)
जिला कलक्टर, डूंगरपुर